भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

① ③

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0 / / निगरानी / पी.बी.आर. / 2017

PBR/ निगरानी/भोपाल/भू रा/2017/ 6330 (66)

1— सतनाम सिंह पुत्र स्व. श्री जोगेन्दर सिंह सलूजा
2— गुरूभेज सिंह पुत्र स्व. श्री जोगेन्दर सिंह सलूजा
3— त्रिलोचन सिंह पुत्र स्व. श्री जोगेन्दर सिंह सलूजा

तीनों वयस्क एवं निवासीगण—34,सी0आर0पी0 लाइन, फाटक रोड,संत हिरदारामनगर, बैरागढ़, भोपाल ——निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1— श्रीमती अविनाश कौर पत्नि श्री सतवन्त सिंह
पुत्री स्व. श्री जोगेन्दर सिंह सलूजा,आयु वयस्क
निवासी—34, सी0आर0पी0 लाइन फाटक रोड,
संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़ भोपाल

2— श्रीमती रंजीता छाबड़ा पत्नि श्री चरणसिंह छाबड़ा
पुत्री स्व. जोगेन्दरसिंह सलूजा, आयु वयस्क
निवासी—पंजाबी मोहल्ला,शुजालपुर मण्डी,
जिला—शाजापुर ——रेस्पांडेंटगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू—राजस्व संहिता—1959

माननीय महोदय,

निगरानीकर्तागण न्यायालय अ0वि0अ0 वृत्त बैरागढ़ भोपाल के प्र0क्र0 15 / अपील / 2016—17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 05.05.2017 (जो कि न्यायालय तहसीलदार वृत्त बैरागढ़ भोपाल के प्र0क्र0 75 / अ—6 / 2006—07 में पारित आदेश दिनांक 26.02.2007 एवं न्यायालय अपर कमिश्नर भोपाल के प्र0क्र0 147 / अपील / 2016—17 में पारित आदेश दिनांक 27.11.2017 से उद्भूत है) से परिवेदित होकर माननीय न्यायालय में निर्धारित समयावधि में यह निगरानी प्रस्तुत कर रहे हैं।

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/6330

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
1-11-2018	आवेदक की ओर से श्री एस.के. बाजपेयी एवं श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषकगण उपस्थित । अनावेदक पक्ष की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी मेमों पर उपस्थित । प्रकरण क्रमांक पुर्नस्थापन 5706/2018/भोपाल/भू.रा. में पारित आदेश दिनांक 1-11-2018 के फलस्वरूप यह प्रकरण पुन: नम्बर पर लिया जाता है । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, वृत्त बैरागढ़ भोपाल के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, जिला ग्वालियर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 19-11-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । अध्यक्ष	

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/6330

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-11-2018	यह तथ्य संज्ञान में आया है कि इस प्रकरण को सुनवाई हेतु कलेक्टर, जिला भोपाल को भेजा जाना था, किन्तु टंकण त्रुटि के कारण कलेक्टर, जिला भोपाल के स्थान पर कलेक्टर, जिला ग्वालियर टाईप हो गया है । अत: मूल आदेशिका दिनांक 1-11-2018 में उक्त त्रुटि सुधार किया जाता है । कलेक्टर, जिला ग्वालियर के स्थान पर कलेक्टर, जिला भोपाल पढ़ा जाये । यह आदेशिका मूल आदेशिका का अंग होगी । अध्यक्ष	